रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-28/2022/1242/22-2-2022-17(69)//2018

लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2022

आदेश

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-412/2021 संजय कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.2022 के अनुपालन में तथा उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, सोनभद्र में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय कुमार सिंह पुत्र श्री रामबचन सिंह, जो- समहुता, थाना-मोहनिया, जनपद-कैमूर (भभुआ) बिहार का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-1, भदोही, ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2005 द्वारा यथावत रखा गया, उक्त बंदी की पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी एवं आयु 62 से अधिक वर्ष होने, 18 वर्ष 07 माह 20 दिन की अपरिहार सजा 24 वर्ष 04 माह 12 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) बिहार के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-28/2022/1242(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) बिहार।
3- पुलिस अधीक्षक कैमूर (भभुआ) बिहार।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, सोनभद्र।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in